Lokāyata: Journal of Positive Philosophy (ISSN: 2249-8389)

Volume IV, No. 02 (September, 2014)

समाज में मूल्यों एवं मानवाधिकार शिक्षा की उपयोगिता

देशराज सिरसवाल, ईश्वर सिंह

परिचयः

भारतीय समाज अपनी विभिन्नता और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्वभर के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में भी हमें विभिन्न मूल्यों की शिक्षा का वर्णन मिलता है। लेकिन देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतन्त्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धर्म की स्वतन्त्रता भी निहित है। सविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर तथा बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है। लेकिन अगर भारतीय समाज के सही स्वरूप का चिंतन किया जाये तो इसमें मूल्यों की शिक्षा और मानवाधिकार सम्बन्धी विचारों में हमें कथनी और करनी में बहुत अन्तर देखने को मिलता है। मूल्यों से अभिप्रायः उन गुणों से है जो मानव के सम्पूर्ण विकास में सहायक हों। दूसरी तरफ मानवाधिकार से अभिप्रायः उन जीवनोपयोगी विशेषताओं से हैं जो कि एक मानव के लिए आवश्यक हों और वह उस समाज का जिसका वह अंग है, में समानता और स्वतन्त्रता का जीवन जी सके। बेसक हम प्राचीन भारतीय समाज की डींगें हांकते रहे लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति द्वारा वर्णन किये गये मूल्य आज तक समाज में स्थापित नहीं किये जा सके।

संस्कृति और सभ्यता मानव के सामाजिक जीवन के दो अलग-अलग पहलू हैं। मानव की क्रियाओं की वह सामाजिक व्यवस्था जिससे मानव की शक्तियों का जन्म और विकास होता है, जिनसे उसका जीवन सुन्दर बनता है, वही संस्कृति कहलाती है। दूसरी तरफ सभ्यता उन सब उपकरणों और साधनों की व्यवस्था है जिनका प्रयोग मानव अपने सामाजिक जीवन में करता है।[1] आज संसार में अनेक देश है और प्रत्येक देश की अपनी एक विशिष्टता है, यह विशिष्टता उस देश के लोगों द्वारा निर्मित्त है। इन विशेषताओं में एक मूल्य व्यवस्था भी अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न मूल्यों जैसे - सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर ही हम किसी देश की सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन करते है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा मूल्यों का व्यक्ति के जीवन

में संचारण होता है और जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सकारात्मक आधार प्रदान करती है। जिस देश के नागरिक सुशिक्षित तथा प्रतिभा सम्पन्न होंगे वह राष्ट्र खुद ब खुद उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जाएगा। इस कारण शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्यों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण हो जाता हैं। इस शोध–पत्र का उद्देश्य आज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों तथा उन मूल्यों का अध्ययन करना है जो कि मानवाधिकार की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना सके। इससे पहले की हम दूसरी बातें करें, शिक्षा और मानवाधिकार के बारे में जान लें।

शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य:

शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों के साथ–साथ सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक शक्तियों और गुणों का विकास भी होता है। इसलिए सभी सभ्य समाजों में शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया जाता है। यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन के अनुसार – ‘‘शिक्षा केवल जीवन या आय का साधन नहीं है, न ही नागरिकों के लिए किसी स्कूल या विचारों की नर्सरी है। यह सही अर्थो में जीवन के प्रति अग्रिम पग है, यह मनुष्य का सदगुणों के अभ्यास तथा सच के पीछे लगाने का प्रशिक्षण है। यह दूसरा जन्म है – द्वितीय जन्म।’’[2]

शिक्षा के दो मुख्यत: उद्देश्यों को इस प्रकार विचारा गया है:–

1. शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य।
2. शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य।[3]

कुछ विद्वान शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को, तो कुछ सामाजिक उद्देश्यों को महत्वपूर्ण मानते है। लेकिन वास्तव में ये दोनों प्रकार के उद्देश्यों का अपना–अपना महत्व है। यहां पर हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों में निम्नलिखित को शामिल कर सकते है:–

- व्यक्ति का बौद्धिक विकास।
- व्यक्ति का शारीरिक विकास।
- व्यक्ति का भावात्मक विकास।
- व्यक्ति के चरित्र का विकास।
- रचनात्मक शक्ति का विकास।
- व्यक्ति का पूर्णरूपेण/सम्पूर्ण विकास।

शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकते है लेकिन शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जितने की व्यक्तिगत, क्योंकि बिना समाज के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता और समाज ही वह आधार है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने में मानववादी मूल्यों का विकास कर पाता

है और इन मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो पाता है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में हम निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल कर सकते है:-

- व्यक्ति के सामाजिक कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेवारियों की शिक्षा।
- नागरिकता की शिक्षा।
- समाज और राष्ट्र को अच्छा व शक्तिशाली बनाने की शिक्षा।

शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ-साथ सामाजिक उद्देश्य इस लिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि शिक्षा वह उपकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के प्रति उत्तरदायी बनता है और उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी। यह मान लेना कि मानव अक्षरज्ञान से ही शिक्षित हो पाता है तो यह गलत है। अगर शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक संवेदना न पैदा हो तो वह व्यक्ति शिक्षित नहीं कहा जा सकता। आज की हमारी आवश्यकता ऐसी शिक्षा पद्धति की है जो व्यक्तियों में समाज के प्रति संवेदना पैदा करे ताकि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह ठीक प्रकार से करे।

शिक्षा और जीवन मूल्य:

व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को पाने की कोशिश करता है जिनको वह मूल्यवान समझता है और शिक्षा का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। नीतिशास्त्र की दृष्टि में वह क्रियाऐं मूल्यवान है जो व्यक्ति की आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाये। व्यक्तित्व के सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए दार्शनिकों निम्नलिखित आठ प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया हैं:-

- आर्थिक मूल्य।
- शारीरिक मूल्य।
- मनोरंजन के मूल्य।
- सामाजिक सम्बन्धों के मूल्य।
- चरित्र सम्बन्धी मूल्य।
- सुन्दरता/कला सम्बन्धी मूल्य।
- बौद्धिक मूल्य।
- धार्मिक मूल्य।[4]

हम अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में विभिन्न तरह के मूल्यों की चर्चा करते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो हमारी आवश्यकता सामाजिक मूल्यों की है जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाये। अन्य मूल्यों का विकास तो व्यक्ति के विकास के साथ-साथ अपने आप हो जाता है। मूल्यों का विकास स्कूल और कॉलेज में इसकी शिक्षा देकर या पाठ्यक्रम में शामिल करके नहीं

किया जा सकता क्योंकि यह एक व्यावहारिक ज्ञान है जो केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से ही प्राप्त किया जा सकता है।

आज प्राय: देखने में आता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आती जा रही है। इसका मुख्य कारण शिक्षा में राजनीति का प्रवेश, अध्यापकों में विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेवारी में कमी, अध्यापक-विद्यार्थियों के सम्बन्धों में स्वार्थता, अध्यापकों की समाज में गिर चुकी प्रतिष्ठा, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों का अध्यापकों के प्रति मान-सम्मान में कमी व सरकारी नीतियां भी काफी हद तक जिम्मेवार हैं। जिनका निदान करना अति जरूरी है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। शिक्षा के बारे में विचार करने के उपरान्त हम मानवाधिकारों की बात करते है।

मानवाधिकार:

किसी भी व्यक्ति को जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवीय अधिकारों को पहचान देने और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए, अधिकारों के लिए जारी लड़ाई को ताकत देने के लिए हर साल 10 दिसम्बर को ''अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस'' यानि ''यूनिवर्सल हयूमन राइटस डे'' मनाया जाता है। अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक एवं दार्शनिक दस्तावेजों में ऐसी अनेक अवधारणाएं हैं जिन्हें मानवाधिकार के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसे प्रालेखों में मुहम्मद पैगम्बर द्वारा निर्मित 'मदीने का संविधान' (Message-e-Madeena), अशोक के 'आदेश-पत्र' आदि को विचारा जा सकता है। आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा मानवाधिकारों की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामयिक इतिहास से सम्बद्ध है। 'दी टवेल्व आटिकल ऑफ दी ब्लैक फारेस्ट (1525) को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह दस्तावेज जर्मनी के किसान विद्रोह (Peasants' War) स्वाविपन संघ के समक्ष उठाई गई, किसानों की मांग का एक हिस्सा है। 'ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स' ने यूनाइटेड किंगडम में सिलसिलेबार तरीके से सरकारी दमनकारी कारवाइयों को अवैध करार दिया। 1976 में संयुक्त राज्य में और 1989 में फ्रांस में 18वीं सदी के दौरान दो प्रमुख क्रांतियां हुई, जिसके फलस्वरूप क्रमश: संयुक्त राज्य की स्वतन्त्रता की घोषणा एवं फ्रांसीसी मनुष्य की मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ। इन दोनों क्रांतियों ने ही कुछ निश्चित कानूनी अधिकारों की स्थापना की।

किसी भी देश में अपने मानवाधिकारों को लेकर अकसर विवाद बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वास्तव में मानवाधिकारों की सार्थकता है ? यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद भी मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों से भरा पड़ा है। इन्हीं सभी विसंगतियों से निजात पाना, मानव को जिन्दगी, बराबरी, और मान-सम्मान का अधिकार है - मानवाधिकार।[5]

पूरी दुनियां में मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में 'मानवाधिकार' की अहम भूमिका है। मानवाधिकारों से अभिप्राय: उन मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता से है, जिसमें सभी प्राणी एक समान है।

10 दिसम्बर 1948 का यह एतिहासिक दिन था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ''मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा-पत्र'' यानि ''यूनिवर्सल डिकलेरेशन ऑफ हयूमन राइट्स'' जारी किया। इस घोषणा-पत्र को अन्य देशों के साथ भारत ने भी अपनी स्वीकृति दी। इसके जो मुख्य बिन्दू है वो इस प्रकार से है[6]:-

- सभी लोग गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतन्त्र और बराबर है।
- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार है।
- सभी को गुलामी और दासता से आजादी का अधिकार है।
- यातना, प्रताड़ना और क्रूरता से आजादी का अधिकार है।
- मनमाने ढ़ग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वासन से आजादी का अधिकार है।
- जब तक अदालत दोषी करार नहीं देती, तब तक निर्दोष रहने का अधिकार।
- विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार।
- सरकार बनाने, चुनने व सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार।
- सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति व सुरक्षा का अधिकार।
- रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार को जीने का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण का अधिकार।
- प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के प्रति जवाबदेही है जो कि लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान इस अधिकार की केवल गारंटी ही नहीं देता है बल्कि इसे तोड़ने वालों के लिए संविधान में सजा का भी प्रावधान है। भारत में 28 सितम्बर 1993 में मानवाधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्तूबर 1993 में सरकार ने 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग' का गठन किया। इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। इनमें जैसे - बाल मजदूरी, एच.आई.वी. एड्स, स्वास्थ्य, भोजन, बाल-विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यों, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों को रखा गया है।

शिक्षा और मानवाधिकार:

मनुष्य शिक्षित ही नहीं होगा तो उसे अधिकारों की पहचान कैसे होगी? शिक्षा और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक है। आज की हमारी आवश्यकता यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली उन मुद्दों के प्रति हमें जागरूक करें जो कि आज के समय की महती आवश्यकता है। मानवी जीवन से जुड़े हर पहलू को उजागर करके सामाजिक न्याय और अच्छी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लोकतन्त्र की गरिमा बनाये रखने में सभी को समानता, स्वतन्त्रता और आपसी भाई-चारे को स्थापित करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हयूमन राइटस वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार दलित और स्वदेशी लोग लगातार भेदभाव, बहिस्कार एवं साम्प्रदायिक हिंसा के कृत्यों का सामना कर रहे हैं। भारतीय सरकार द्वारा अपनाये गये कानून एवं नीतियां सुरक्षा के मजबूत आधार तो प्रदान करती है किन्तु ये नीतियां स्थानीय अधिकारियों द्वारा अमल में नहीं लाई जा रही है।[7] ऐसे में शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्यों को उनके अधिकारों से परिचित करवा सकती है। भारतीय संस्कृति के सौदागर प्राचीन परम्पराओं और कुरीतियों को महिमामडि़त करके हमारे सामने रखते है, परन्तु इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आज के समाज में फैली कुरीतियों के कारण जाति व्यवस्था, धार्मिक अन्धता, कर्म-सिद्धान्त आदि का प्रचार-प्रसार करते है। यही धर्म के प्रति अज्ञानता, अन्धता आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसी कारण देश के एक बड़े हिस्से को जाति धर्म के नाम पर बहिस्कृत किया जा रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है, बहू-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह तब तक होता रहेगा जब तक कि मनुष्य को उसके अधिकारों का ज्ञान न हो जाये और उसके अधिकारों का ज्ञान एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली ही दे सकती है, दूसरा कोई नहीं। जब तक हम एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली को नहीं अपनाते, जो इस रूढ़िवादी सोच को खत्म करके, एक सकारात्मक सोच पैदा करें, तब तक इस देश में सामाजिक बुराईयां बनी रहेगी।

मावनाधिकार शिक्षा की उपयोगिता:

मनुष्य तब तक एक स्वस्थ जीवन नहीं गुजार सकता, जब तक उसके भौतिक अधिकार उसे पूर्णरूप से उसे प्राप्त नहीं हो जाते। अब प्रश्न यह है कि उसके अधिकारों का ज्ञान उसे किस प्रकार से हो? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यह ज्ञान केवल शिक्षा ही करवा सकती है। शिक्षा ही वास्तव में मनुष्य का वह तीसरा नेत्र है जिसके द्वारा उसकी बुद्धि का विकास होता है और जब बुद्धि का विकास हो गया तो उसको अपने अच्छे-बुरे का ज्ञान सहजता से हो जायेगा। यही शिक्षा मनुष्य को उसके अधिकारों का बोध करवाएगी। अंतरराष्ट्रीय 'हयूमन राइटस वॉच' ने वर्ष 2011 में भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को निराशाजनक बताया था। हयूमन राइटस वॉच की वैश्विक रिपोर्ट 2012 में भी विश्व के अन्य देशों सहित भारत में मानवाधिकारों की जो स्थिति दर्शायी, वह

निराशाजनक ही रही है। हयूमन राइटस वॉच ने रिपोर्ट में पुलिस हिरासत में होने वाली मौते, पुलिस द्वारा उत्पीड़न और सरकार द्वारा कमजोर समुदायों की रक्षा करने की नीतियां लागू करने में असफल रहने आदि को भारत के लिए नकारात्मक बताया गया है।[8] भारत में इसके उदाहरण आम तौर पर पिछले सालों में देखने को मिला, जैसे - दिल्ली का दामिनी बलात्कार कांड, मुज्जफरनगर में हिन्दू-मुस्लिम दंगे, व आये दिन होने वाले कांडों ने सारे देश को हिलाकर रख दिया।

यदि भारतीय समाज में मानवाधिकार की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये या लोगों को इस बारे में पूर्णतः ज्ञान करवाया जाये, तो भारतीय समाज से भ्रष्टाचार, लिंगभेद, बलात्कार, जातिप्रथा और अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, तो जिस राम-राज्य की कल्पना की गई है, वैसा राम-राज्य स्थापित किया जा सकता है।

आज मानवाधिकार अपने विकास के चरम पर है। इस क्षेत्र को आज भी समाज सेवा से जोड़कर देखा जाता है, परन्तु अब यह महज समाज सेवा ही नहीं रह गया है बल्कि एक कैरियर के रूप में उभरकर सामने आया है। शिक्षित युवाओं के अलावा, दूसरे कई और प्रोफेसनल्स के लिए भी इस क्षेत्र में कई अवसर प्राप्त है। मानवाधिकार की जानकारी ना सिर्फ आपको अपना हक दिलाती है बल्कि अच्छा रोजगार भी दिला सकती है। पिछले दो दशकों में मानवाधिकार क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। जहां एक ओर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए है, वहीं रोजगार के क्षेत्र में भी इसे नई विधा के रूप में भी काफी अहमियत मिली है।

हयूमन राइटस में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक कोई भी उम्मीदवार मानवाधिकार क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है। मानवाधिकार में कोर्स करने के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। कई सरकारी राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, अंतरराष्ट्रीय तथा गैर सरकारी संगठन है। मानवाधिकार प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री निमनलिखित संस्थाओं से किये जा सकते हैं:-

- भारतीय मानवाधिकार संस्थान, नई दिल्ली।
- इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- एन. एस. डी. टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई।
- राष्ट्रीय भारतीय विधि विश्वविद्यालय, बेंगलुरु।
- मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई।
- नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर।

- देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इंदौर।

निष्कर्ष:

उपरोक्त अध्ययन के बाद यह कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है और उसमें सामाजिक जागरूकता पर जोर देने की भी आवश्यकता है। आज की शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य सार्वभौम होने चाहिए जोकि मानवतावादी दृष्टिकोण को विकसित करने में सहयोग दें। मानवाधिकार शिक्षा भी इसी कड़ी का अंग है और आज भारतीय समाज में विकास और समाज विकास में हानिकारक रूढ़ियां और सामाजिक समस्याओं के लिए यह अति आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का एक साधन है और किसी भी समाज के लिए ये अति महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ:

1. शर्मा, बांके लाल (1984) दर्शनशास्त्र प्रवेशिका, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, पृ. 111-117.
2. शैलेन्दर सिंह (2011) फंडामेंटल्स ऑफ एप्लाइड एथिक्स, कृष्णा ब्रदर्स, जालन्धर, पृ. 253.
3. शर्मा, बांके लाल (1984) दर्शनशास्त्र प्रवेशिका, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, पृ. 212-215.
4. वही, पृ. 94-97.
5. मानवाधिकार, http://hi.wikipedia.org/s/2f7
6. क्या है मानवाधिकार घोषणापत्र के अनुच्छेद? (http://www.bbc.co.uk/hindi/news/story/2008/12/081210_human_rightsawa.shtml)
7. "India Events of 2007" Human Rights Watch. http://www.hrw.org/legacy/englishwr2k8/docs/2008/01/31/India17605.htm.
8. भारत एक देश का अध्ययन, संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस पुस्तकालय (http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/India.pdf)
9. मानवाधिकार क्षेत्र में है बेहतर मौके (http://www.samaylive.com/gallery/photogallary/other.photogalary/better.career.oppurtunities.inthefieldofhumanrights/618285/2/47172.html#photo)